रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 420] नई दिल्ली, बुधवार, जून 20, 2018/ज्येष्ठ 30, 1940
No. 420] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 2018/JYAISTHA 30, 1940

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2018

सा.का.नि.575(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसमें केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 14 की अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के पश्चात उक्त प्रारूप नियम पर विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, तो उसे महानिदेशक नागर विमानन, सफदरजंग हवाईअड्डा के सामने, नई दिल्ली-110003 को भेजें या dgoffice.dgca@nic.in पर मेल करें';

उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेप या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (.............संशोधन) नियम, 2018 है।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 की अनुसूची XI में,---

   (क) पैरा 3 और 4 का लोप किया जाए;

   (ख) पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाए, अर्थात:—

"5.(1) विमान प्रचालक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन महानिदेशक को ऐसी रीति और प्ररूप में जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट करेगा, वह आवेदन आवेदक द्वारा किया जाए या आवेदक की ओर से विधिवत प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो और ऐसा आवेदन उस तारीख जिसको अनुसूचित विमान परिवहन सेवा आरंभ करने की योजना से कम से कम छह मास पहले किया गया हो।

(2) महानिदेशक को आवेदन करने से पूर्व, आवेदक को नागर विमानन मंत्रालय को ऐसी रीति और प्ररूप जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, को आवेदन करके केंद्रीय सरकार से अपने प्रस्ताव के लिए आरंभिक आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

(3) आरंभिक आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए, केंद्रीय सरकार आवेदन की वित्तीय सुदृढ़ता, उसकी प्रचालन योजना, आवेदक के संगठन जिसमें इसके निदेशक भी शामिल हैं, की सुरक्षा दृष्टि से अनापत्ति जैसे कारक और कोई ऐसा अन्य कारक जो नीतिगत दृष्टि से प्रस्ताव में निहित है, को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर विचार करेगी।

(4) आरंभिक आरंभिक आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र इसके जारी करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(5) आरंभिक आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र का आवेदन करने के लिए दो लाख रूपये की फीस देय होगी।";

(ग) पैरा 6 और 7 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा को रखा जाए, अर्थातः—

"6. इस अनुसूची के अधीन कोई विमान प्रचालक प्रमाण पत्र निम्नलिखित प्रवर्ग में प्रदान किया जा सकेगाः

(क) अनुसूचित विमान परिवहन सेवा (यात्री)

(ख) अनुसूचित कम्यूटर विमान परिवहन सेवा (यात्री)

(ग) अनुसूचित विमान परिवहन सेवा (कार्गो)

स्पष्टीकरणः अनुसूचित कम्यूटर विमान परिवहन सेवा हवाई अड्डों और/या हेलीपैडों जिन्हें महानिदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, के बीच प्रचालित कर सकेगा।

7. इस अनुसूची के अधीन विमान प्रचालक प्रमाण पत्र के धारक द्वारा विमान की दशा में, केवल जिसका अधिकतम प्रमाणित उठान भार 5700 किलोग्राम से अनधिक है और हेलीकाप्टर की दशा में, जिसका अधिकतम प्रमाणित उठान भार 3175 किलोग्राम से अनधिक है, प्रचालन के लिए उपयोग किया जा सकेगा, विमान उन अपेक्षाओं जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, की पूर्ति करेगाः

परंतु अनुसूचित कम्यूटर विमान परिवहन सेवा (यात्री) का धारक 5700 किलोग्राम से कम और 40000 किलोग्राम से अनधिक प्रमाणित उठान भार वाले वायुयान का उपयोग कर सकेगा।

परंतु यह और कि अनुसूचित कम्यूटर विमान परिवहन सेवा के अधीन टरबाइन- पावर्ड एकल इंजन विमान जिसका अधिकतम प्रमाणित उठान भार 5700 किलोग्राम से कम है और टरबाइन-पावर्ड एकल इंजन हेलीकाप्टर जिसका अधिकतम प्रमाणित उठान भार 3175 किलोग्राम से कम है, का प्रचालन के लिए उपयोग निम्नलिखित उपबंधों के अधीन किया जा सकेगा—

(i) प्रमाणित यात्री की सीट संख्या नौ से अधिक न हो;

(ii) विमान रात्री और/या उपकरण मौसम विज्ञान संबंधी दशाओं में प्रचालन के लिए अधिकतम उपस्करों से सुसज्जित हो; और

(iii) हेलीकाप्टर केवल दिन में वीएफआर के अधीन उड़ान कर सकेगा।";

(घ) पैरा 8 में,---

(क) उप-पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा को रखा जाए, अर्थातः-

"(1) महानिदेशक विमान प्रचालक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पर यथा संभव शीघ्र विचार करेगा और इस बात का समाधान हो जाने पर कि आवेदक ने अधिकथित अपेक्षाएं पूरी की है, आवेदक को विमान प्रचालक प्रमाण पत्र ऐसी शर्तें जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, के अधीन प्रदान कर सकेगा।";

(ख) उप-पैरा (2) का लोप किया जाए;

(ड.) पैरा 9 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा को रखा जाए, अर्थातः-

"9.(1) विमान प्रचालक प्रमाण पत्र पांच वर्ष की अनधिक अवधि जिसे महानिदेशक प्रदान करते समय विहित करें, के लिए विधिमान्य होगा और महानिदेशक के समाधानप्रद हो जाने पर इसे अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा कि इसका धारक प्रमाण पत्र के अधीन सेवाओं का संतोषप्रद रूप से अनुपालन कर रहा है और वह सेवाओं को जारी रखने में सक्षम है।

(2) विमान प्रचालक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बीस लाख रुपये की फीस देय होगी और उसके नवीकरण के लिए दस लाख रुपये की फीस देय होगीः

परंतु अनुसूचित कम्यूटर विमान परिवहन सेवा प्रचालित करने के लिए विमान प्रचालक प्रमाण पत्र जारी करने की दशा में, दस लाख रुपये की फीस देय होगी और उसके नवीकरण के लिए पांच लाख रुपये की फीस देय होगी।

(3) इस अनुसूची के अधीन देय फीस उस रीति में जो महानिदेशक द्वारा विहित की जाए, देय होगी।";

(च) पैरा 15 में, उप-पैरा (2) में,---

(क) खंड (घ) का लोप किया जाए;

(ख) खंड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खंडों को रखा जाए, अर्थातः-

"(ड.) कि अनुज्ञा कपट द्वारा प्राप्त की गई थी; या

(ढ) केंद्रीय सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा कंपनी या निगमित निकाय की सुरक्षा अनापत्ति वापस ले ली गई है या नकार दी गई है।"।

[फा.सं.एवी-11012/2/2013-ए]

शेफाली जुनेजा, संयुक्त सचिव

टिप्पण.- मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना सं. वी-26 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 4 अप्रैल, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित तारीख 4 अप्रैल, 2018 की सा.का.नि सं. 333 (अ) द्वारा किए गए।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2018

G.S.R.575 (E).— The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003 or mailed to dgoffice.dgca@nic.in;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Aircraft (……. Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette

2. In Schedule XI to the Aircraft Rules, 1937,—

(A) paragraphs 3 and 4 shall be omitted;

(B) for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely: —

"5. (1) An application for Air Operator Certificate shall be made to the Director-General in such form and manner as may be specified by the Director-General which shall be signed by the applicant or by a person duly authorised in that behalf by the applicant and the application shall be made at least six months before the date on which it is planned to commence the scheduled air transport services.

(2) Before making the application to the Director-General, the applicant shall obtain an initial No Objection Certificate for his proposal from the Central Government by making an application to the Ministry of Civil Aviation in such form and manner as may be specified by the Director-General.

(3) For granting the initial no objection certificate, the Central Government shall consider the proposal taking into account factors such as the financial soundness of the applicant, his operational plan, the clearance from security angle of the applicant organisation including its Directors, and any other factor that may have a bearing on the proposal from policy angle.

(4) The initial no objection certificate shall be valid for a period of three years from the date of issue.

(5) A fee of rupees two lakh shall be payable for making the application for initial no objection certificate.";

(C) for paragraphs 6 and 7, the following paragraphs shall be substituted namely: —

"6. An Air Operator Certificate under this Schedule may be granted in the following categories:

(a) Scheduled Air Transport Services (Passenger)

(b) Scheduled Commuter Air Transport Services (Passenger)

(c) Scheduled Air Transport Services (Cargo)

Explanation: Scheduled Commuter Air Transport services shall be operated between airports and/or helipads as may be specified by the Director-General from time to time.

7. Only multi-engine aircraft with maximum certified take off mass of not less than 5700 Kgs. in case of aeroplanes and 3175 Kgs. in case of helicopters shall be used for operations by the holder of the Air Operator Certificate under this Schedule. The aircraft shall meet the requirements as may be specified by the Director-General:

Provided that the holder of scheduled commuter air transport services (Passenger) may use aircraft with certified take off mass from below 5700 Kgs. and not exceeding 40000 Kgs.

Provided further that turbine-powered single engine aeroplane having maximum certified take off mass below 5700 Kgs. and turbine-powered single engine helicopter having maximum certified take off mass below 3175 Kgs. may be used for operations under the scheduled commuter air transport services provided that –

(i) the number of certified passenger seats shall not exceed nine;

(ii) the aeroplane shall be equipped with minimum equipment for operation at night and/or instrument meteorological conditions; and

(iii) the helicopter shall be flown under day VFR only.";

(D) in paragraph 8, —

(a) for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(1) The Director-General shall consider the application for the Air Operator Certificate as speedily as possible and upon being satisfied that the applicant has met the laid down requirements, shall grant the Air Operator Certificate subject to such conditions as may be specified therein.";

(b) sub-paragraph (2) shall be omitted;

(E) for paragraph 9, the following paragraph shall be substituted, namely: —

"9. (1) The Air Operator Certificate shall be valid for a period not exceeding five years as may be fixed by the Director-General at the time it is granted and may be renewed by the Director-General for a maximum period of five years at a time upon being satisfied that the holder has been performing the services under the Certificate satisfactorily and has the capability to continue the services.

(2) A fee of rupees twenty lakhs shall be payable for the issuance of an Air Operator Certificate and rupees ten lakhs for renewal thereof:

Provided that in case of issue of an Air Operator Certificate to operate Scheduled Commuter Air Transport service the fee payable shall be rupees ten lakhs and rupees five lakhs for renewal thereof.

(3) The fees payable under this Schedule shall be paid in the manner as prescribed by the Director-General.";

(F) in paragraph 15, in sub-paragraph (2), —

(a) clause (d) shall be omitted;

(b) for clause (e), the following clauses shall be substituted, namely: —

"(e) that the permit was obtained by fraud; or

(f) that the security clearance of the company or the body corporate has been withdrawn or denied by the Central Government, Ministry of Home Affairs.".

[F. No. AV.11012/2/2013-A]

SHEFALI JUNEJA, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 333(E) dated the 4th April, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 4th April, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.06.21 21:50:07 +05'30'